केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड (सीएबी) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो दिव्यांगता संबंधी मामलों पर एक सर्वोच्च परामर्शी एवं सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। सीएबी की पिछली (8वीं) बैठक दिनांक 08.01.2026 को नई दिल्ली में माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। सीएबी की बैठकों की कार्यवाही (मिनट्स) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट (https://depwd.gov.in/central-advisory-board-on-disability/) पर अपलोड की जाती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु पदों की पहचान के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना द्वारा जारी पहचाने गए पदों की सूची तथा दिनांक 08.11.2024 को जारी पहचान संबंधी दिशा-निर्देश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट (https://depwd.gov.in/en/identification-of-posts-for-pwds/) पर उपलब्ध हैं।